तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **खेमसिंह जोधा बनाम लो.सू.अ. (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर)** सू.अ.अ. अपील संख्या 364 / 2022	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22-11-2022	अपीलार्थी खेमसिंह जोधा, निवासी ग्राम व पोस्ट शिकारपुरा, तहसील लूणी जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 22.07.2022 में (1) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी लूणी की गाड़ी नम्बर RJ19UA-6721 के वर्ष 2019–2020 के टायर/अन्य सामान इन्द्राज के स्टॉक रजिस्टर की नियमानुसार प्रमाणित प्रति, से संबंधित सूचना के लिए ,लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 1895 दिनांक 04.11.2022 तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि प्राथना पत्र में वर्णित सूचना प्रभारी अधिकारी, जिला पूल, कार्यालय हाजा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी को इस कार्यालय के पत्र संख्या 1766 दिनांक 13.10.22 द्वारा कुल 01 पृष्ठ की सूचना निःशुल्क प्रेषित की जा चुकी है। चूंकि लोक सूचना अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी/प्रार्थी को 01 पृष्ठीय सूचना दी जा चुकी है। अतः अपील इस स्टेज पर निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	